सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) (मुख्य) परीक्षा–2016 तथा सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) (मुख्य) परीक्षा–2016 के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक अनुदेश।

सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य चयन) (मुख्य) परीक्षा–2016 तथा सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) (मुख्य) परीक्षा–2016 के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश एवं सूचनाएं निम्नवत् हैं । वे आवेदन–पत्र भरते समय इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखें:–

1. प्रश्नगत परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन आयोग के विज्ञापन संख्या–ए–1 / ई–1 / 2016 द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2016 को प्रकाशित कराया गया था ।

2. अधिमान्यता प्रपत्र, पदवार रिक्तियों का विवरण तथा शारीरिक मापदण्ड का विवरण साक्षात्कार हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को बाद में भेजा जाएगा ।

3. विज्ञापन में प्रकाशित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्रारम्भिक परीक्षा हेतु आवेदन–पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि 11 फरवरी, 2016 जो कि विज्ञप्ति दिनांक 09 फरवरी, 2016 के द्वारा संशोधित अन्तिम तिथि 16 फरवरी, 2016 निर्धारित थी, तक धारित करने वाले अभ्यर्थी ही पात्र होंगे ।

4. मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक वही होगा जो प्रारम्भिक परीक्षा में था ।

5. अभ्यर्थियों को शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दावे की पुष्टि में सभी उपाधियों, प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं (स्नातक / परास्नातक की प्रत्येक वर्ष की अंक तालिका) की स्वप्रमाणित प्रतियाँ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने दावे की पुष्टि में उन्हें संलग्न नहीं किया जाता है तो उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा ।

6. अभ्यर्थियों ने प्रारम्भिक परीक्षा के आवेदन–पत्र में जिस श्रेणी / उपश्रेणी का दावा किया है उसकी पुष्टि में मुख्य परीक्षा के आवेदन–पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप पर नवीनतम शासनादेशों के अनुसार प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न करें अन्यथा उनका अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

7. मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 200 / – एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 / = कुल रु0 225 / – तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रु0 80 / – एवं ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 / – = कुल रु0 105 / – निर्धारित है । क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थी शुल्क अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जमा करेंगे परन्तु विकलांग अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रु0 25 / – ही जमा करेंगे । परीक्षा शुल्क एस.बी.आई. / पी.एन.बी. में ई–चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा । ई–चालान के माध्यम से निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर अभ्यर्थी उसका प्रिंट आउट बैंक से प्राप्त कर लेने के पश्चात् उसकी प्रविष्टि अपने मुख्य परीक्षा के ऑन–लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेंगे तथा उक्त जमा की गई ई–चालान के प्रिंट आउट के पर्ची की प्रति आयोग को अन्य दावों के संबंध में प्रेषित किए जाने वाले प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के साथ लिफाफे में भरकर प्रेषित करेंगे । अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा । परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

8. मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे । अभ्यर्थियों को वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई भी दो विषय चुनने हैं । प्रत्येक वैकल्पिक विषय में दो प्रश्न–पत्र होंगे । प्रत्येक प्रश्न–पत्र अनिवार्य (सामान्य अध्ययन को छोड़कर) तथा वैकल्पिक विषय हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे हैं । सामान्य अध्ययन के दोनों प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, इसके लिए निर्धारित समय दो घण्टे हैं । वैकल्पिक विषय के प्रश्न पत्रों हेतु अधिकतम अंक 200 है तथा अनिवार्य विषय के प्रश्न–पत्रों हेतु अधिकतम अंक उनके सम्मुख अंकित हैं:–

(अ) अनिवार्य विषय

विषय	अधिकतम अंक
1–सामान्य हिन्दी	150
2–निबन्ध	150
3–सामान्य अध्ययन (प्रथम प्रश्न पत्र)	200
4–सामान्य अध्ययन (द्वितीय प्रश्न पत्र)	200

.....2

(ब) वैकल्पिक विषय

विषय	कोड सं.	विषय	कोड सं.
कृषि	01	प्राणि विज्ञान	02
रसायन शास्त्र	04	भौतिक विज्ञान	05
गणित	06	भूगोल	08
अर्थशास्त्र	09	समाज शास्त्र	11
दर्शन शास्त्र	12	भू विज्ञान	13
मनोविज्ञान	14	वनस्पति विज्ञान	15
विधि	16	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	17
सांख्यिकी	18	रक्षा अध्ययन	19
प्रबन्ध	20	राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध	21
इतिहास	22	समाज कार्य	23
नृ विज्ञान	24	सिविल अभियांत्रिकी	25
यांत्रिक अभियांत्रिकी	26	विद्युत अभियांत्रिकी	27
अंग्रेजी साहित्य	29	उर्दू साहित्य	30
अरबी साहित्य	31	हिन्दी साहित्य	32
फारसी साहित्य	33	संस्कृत साहित्य	34
वाणिज्य एवं लेखांकन	35	लोक प्रशासन	36
कृषि अभियांत्रिकी	37		

किन्तु वैकल्पिक विषयों में निम्नलिखित विषय समूह में से केवल एक विषय ही लिया जाना अनुमन्य हैः–

ग्रुप–ए	ग्रुप–बी	ग्रुप–सी
1–नृ विज्ञान	1–गणित	1–कृषि
2–समाज शास्त्र	2–सांख्यिकी	2–पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान
3–समाज कार्य		

ग्रुप–डी	ग्रुप–ई	ग्रुप–एफ
1–सिविल अभियांत्रिकी	1–अंग्रेजी साहित्य	1–राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध
2–यांत्रिकी अभियांत्रिकी	2–हिन्दी साहित्य	2–लोक प्रशासन
3–विद्युत अभियांत्रिकी	3–उर्दू साहित्य	
4–कृषि अभियांत्रिकी	4–अरबी साहित्य	
	5–फारसी साहित्य	
	6–संस्कृत साहित्य	

ग्रुप–जी		
1–प्रबन्ध		
2–लोक प्रशासन		

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने वैकल्पिक विषयों के नाम एवं कोड परम्परागत आवेदन–पत्र में निर्धारित स्थान पर सही ढंग से अंकित करें । बाद में इसमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा ।

9. प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर (वाणिज्य कर), वाणिज्य कर अधिकारी, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, जिला कमान्डेंट होमगार्ड, कोषाधिकारी/लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, पद हेतु अनिवार्य अर्हता स्नातक है तथा इसकी अधिमानी अर्हता निम्नलिखित हैः–

(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या
(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

....3

पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु अनिवार्य अर्हता स्नातक है ।

पुलिस उपाधीक्षक तथा जिला कमान्डेंट होमगार्ड पद हेतु शारीरिक मापदण्ड भी निर्धारित है।

उपनिबंधक पद हेतु अनिवार्य अर्हता विधि स्नातक के साथ देव नागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

सहायक श्रमायुक्त (श्रम अनुभाग–4)–पद हेतु अनिवार्य अर्हता वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाज शास्त्र के साथ कला में स्नातक या उसके समकक्ष अन्य अर्हता निर्धारित है तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

सहायक आयुक्त, उद्योग हेतु अनिवार्य अर्हता स्नातक है तथा अधिमानी अर्हता निम्नवत् है–(1) व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

जिला प्रोबेशन अधिकारी हेतु अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

उ0प्र0 कृषि सेवा समूह "ख" (विकास शाखा) की अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता तथा अधिमानी अर्हता (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की अनिवार्य अर्हता कृषि स्नातक है। अधिमानी–(1) मान्यता प्राप्त संस्था से कृषि में स्नातकोत्तर उपाधि, (2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

जिला उद्यान अधिकारी, श्रेणी–।। (ग्रेड–।) हेतु अनिवार्य अर्हता–किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से उद्यान में विज्ञान स्नातक (कृषि), बी.एस.सी.(कृषि) या उद्यान विज्ञान में समकक्ष उपाधि तथा अधिमानी अर्हता–(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

सहायक निदेशक, उद्योग (हथकरधा) एवं सहायक निदेशक उद्योग (विपणन) हेतु अनिवार्य अर्हता किसी विश्वविद्यालय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि के साथ देवनागरी लिपि में हिन्दी का ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता–(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

जिला प्रशासनिक अधिकारी की अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि तथा अधिमानी अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी संस्था से लोक प्रशासन में डिप्लोमा उपाधि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दिया जाएगा। –(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

जिला लेखा परीक्षा अधिकारी/प्रवक्ता की अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता के साथ देवनागरी लिपि में लिखी गयी हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता–(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन) की अनिवार्य अर्हता विधि स्नातक के साथ देवनागरी लिपि में हिन्दी का पूर्ण ज्ञान तथा अधिमानी अर्हता–(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

जिला कार्यक्रम अधिकारी की अनिवार्य अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता

प्राप्त कोई अर्हता के साथ अधिमानी अर्हता (1) ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो, —(2) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (3) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

सहायक सेवायोजन अधिकारी (विशेष चयन) अनिवार्य अर्हता स्नातक है तथा अधिमानी अर्हता—(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो। हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य।

आवेदन—पत्र के साथ अधिमानी अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी वांछित अभिलेख अवश्य प्रस्तुत करें ।

10. सभी सेवाओं के लिए व्यक्तित्व परीक्षण 200 अंक का होगा ।

11. मुख्य परीक्षा इलाहाबाद तथा लखनऊ नगरों में आयोजित होगी । अभ्यर्थियों को आवेदन—पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अपना परीक्षा केन्द्र अंकित करना है । परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं है तथा इस संबंध में कोई प्रार्थना—पत्र / प्रत्यावेदन स्वीकार्य नहीं है ।

12. अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता से संबंधित उपाधि, प्रमाण पत्रों, अंक—पत्रों, आरक्षण के दावे के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति एवं शुल्क के निमित्त ई—चालान—एस.बी.आई. / पी.एन.बी. से ई—चालान जमा करने के प्रिंट आउट की प्रति के साथ 27.5 X 11.5 से.मी. साइज़ के दो लिफाफे जिन पर परीक्षा का नाम, अभ्यर्थी का नाम तथा पूरा पता अंकित हो, संलग्न करें । नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की स्वप्रमाणित फोटो जिस पर अभ्यर्थी के दिनांक सहित पठनीय पूरे हस्ताक्षर हो, फॉर्मेट के निर्दिष्ट स्थान पर चस्पा करना है ।

13. अभ्यर्थी प्रश्न—पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि) या अंग्रेजी (रोमन लिपि) में दे सकते हैं। किन्तु किसी भी प्रश्न—पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त में से किसी एक ही लिपि में देना आवश्यक है, न कि अलग—अलग प्रश्नों के उत्तर अलग—अलग लिपि में। प्रश्न पत्र के किसी एक प्रश्न का उत्तर एक लिपि में तथा दूसरे प्रश्न का उत्तर दूसरी लिपि में देने वाले अभ्यर्थी अंकों की कटौती के रूप में दण्डित होंगे ।

14. अभ्यर्थी सभी स्तम्भ ठीक—ठीक भरने के बाद घोषणा के नीचे निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अवश्य करें अन्यथा उनका आवेदन—पत्र निरस्त कर दिया जायेगा ।

——